डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 06/2025-26 के मुखपृष्ठ, प्रस्तावना, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 110, 111,112 और 113 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई – त्रिचि /सीपी-II/2025-30

परामर्श पत्र संख्या 06/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुचिरापल्ली (टीआरजेड) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2025 से 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 27 फरवरी, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

प्रस्तावना

तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुचिरापल्ली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में और इसके द्वारा प्रचालित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 336 पर सिटी सेंटर से लगभग 5 किमी (3.1 मील) दक्षिण में स्थित है।

तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को एएआई द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर प्राइवेट हवाईअड्डा प्रचालक को पट्टे पर देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसे ध्यान में रखकर नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचना संख्या एवी24011/141/2015-एडी (खंड -V) द्वारा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में अधिसूचित किया था।

वित्त वर्ष 2024-25 में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से वास्तविक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) 1.95 एमपीपीए हुआ है।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के पांच (05) टैरिफ वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए लेखा परीक्षित कच्चे मिलान के रूप में) और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) के अनुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश कर जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा कर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27.02.2026 के परामर्श पत्र संख्या 06/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, प्रति secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक :	17 मार्च, 2026
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	30 मार्च, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	09 अप्रैल, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप

4.12.1 तालिका 17 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.12.2 तालिका 20 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.12.3 तालिका 21 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.12.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 14% तथा वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11.61%एफआरओआर को मानना।

4.12.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 27 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 34 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.12.7 तालिका 39 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.8 तालिका 40 में दिए गए विवरण के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि की इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 तालिका 51 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम यातायात को मानना।

5.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.6.1 तालिका 53 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कैपेक्स के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कैपेक्स को टू-अप करना।

6.6.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना पूर्ण होने में देरी किसी ऐसे कारण से होती है जो एएआई या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और इसका उधित औचित्य दिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत को टू-अप करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

6.6.4 तालिका 56 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.6.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.6.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी के टू-अप के समय केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार जीएसटी क्रेडिट पर विचार करना। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करेगा और आवश्यक समायोजन करेगा।

6.6.7 तालिका 58 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.6.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में 11.61% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 तालिका 60 में दिए गए विवरण के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 तालिका 71 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 तालिका 74 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एएआई द्वारा प्राप्त गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना, यदि यह द्वितीय नियंत्रण अवधि में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित गैर-वैमानिक राजस्व से अधिक हो।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 तालिका 76 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक बिल्डिंग ब्लॉकों के आधार पर वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 एएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा गुणवत्ता रियायत करार में बताए गए कार्य निष्पादन मानक के अनुसार है और ये मानक प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान एक बार प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू हो जाते हैं तो पैरा 12.2.5 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित कार्य निष्पादन मानकों का भी पालन करना होगा।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 तालिका 79 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।

13.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को टू-अप करना।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 तालिका 83 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 30 मार्च, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)